विहंगावलोकन

वर्ष 2012-13 के दौरान रक्षा सेवाओं के लिए किया गया कुल व्यय ₹1,87,469 करोड़ था। इसमें से, वायु सेना और नौसेना ने क्रमशः ₹51,118 करोड़ और ₹29,879 करोड़ खर्च किए। इन दोनों सेनाओं द्वारा किया गया संयुक्त व्यय रक्षा सेवाओं पर किए गए कुल व्यय का 43.21 प्रतिशत है। वायु सेना एवं नौसेना के व्यय का अधिकांश भाग पूंजीगत है,जो कुल व्यय का लगभग 62.64 प्रतिशत है।

इस प्रतिवेदन में वायुसेना, नौसेना, तटरक्षक एवं सैन्य इंजीनियर सेवाओं के लेनदेन की नमूना लेखापरीक्षा के प्रमुख निष्कर्ष समाविष्ट हैं। इस प्रतिवेदन में समाविष्ट कुछ प्रमुख निष्कर्षों की चर्चा नीचे की गयी है।

I. प्रशिक्षक वायुयान की अधिप्राप्ति

हिन्दुस्तान एयरोनॉटिक्स लिमिटेड (एच ए एल) द्वारा 14 वर्ष बीत जाने के बाद भी एक प्रशिक्षक वायुयान के विकास एंव आपूर्ति में विलम्ब से पॉयलटों का चरण- II प्रशिक्षण बुरी तरह प्रभावित हुआ था। इसके अतिरिक्त, भारतीय वायुसेना (आई ए एफ) पैरामीटर की तुलना में विकासाधीन वायुयान भारी जो प्रशिक्षण से सम्बन्धित कार्य निष्पादन को प्रभावित कर सकता है। और भी मार्च 2010 की संविदा के विरुद्ध एच ए एल के ₹2953.88 करोड़ तक जारी अग्रिम अब तक अव्ययित पड़ा रहा। संविदा के प्रावधानों में कमी के कारण, आई ए एफ ने ₹6.04 करोड़ मूल्य के क्रय आदेश के अंकित मूल्य के विरुद्ध एच ए एल को ₹926.15 करोड़ राशि का महत्वपूर्ण द्वितीय चरण भुगतान के रूप में किया था।

(पैराग्राफ 2.1)

II जासूसी मिशन हेतु गतिशील भू संदोहन केन्द्र की अप्रयोज्यता

एक जासूसी (रेकी) प्रणाली प्रचालनात्मक आवश्यकताओं के लिए खुफिया आँकड़े एकत्रित करने हेतु प्रयोग की जाती है। एक हवाई जासूसी प्रणाली में सिन्थेटिक एपर्चर रेडार (एस ए आर) पॉड, इलैक्ट्रोआप्टिक/इन्फ्रा रेड (ई ओ/ आई आर) पॉड एवं स्टैटिक/ गतिशील भू संदोहन केन्द्र (एम जी ई एस) सम्मिलित हैं। ₹129.76 करोड़ की कीमत पर आयातित (2009) चार एम जी ई एस के गलत आबंटन की अधिप्राप्ति नहीं होने के परिणामस्वरूप अभिप्रेत उद्देश्य हेतु उनकी अप्रयोज्यता से भारतीय वायुसेना के टोही मिशन प्रभावित हुआ।

(पैराग्राफ 2.2)

III हवाई लड़ाकू चालन यंत्र की विन्यास की अधिप्राप्ति

हवाई लड़ाकू चालन यंत्र विन्यास (ए सी एम आई) प्रणाली सम्पूर्ण लड़ाकू उड़ानों का एक इलैक्ट्रॉनिक रिप्ले प्रदान करता है। ए सी एम आई प्रणाली के अधिक उड़ान प्रशिक्षण पर भारतीय वायुसेना ने ₹10.35 करोड़ का अतिरिक्त व्यय किया। आगे, बेड़ा नवीनीकरण योजना के साथ ए सी एम आई प्रणाली की अधिप्राप्ति एवं एकीकरण के समाकलन न हाने के कारण ₹167 करोड़ की कीमत पर अधिप्राप्त उपकरण का प्रशिक्षण उद्देश्य हेतु पूर्ण रूप से उददोहन नहीं किया जा सका।

(पैराग्राफ 2.3)

IV एक टारपीडो की अधिप्राप्ति में अलाभकार निवेश

मेसर्स भारत डायनामिक्स लिमिटेड (मेसर्स बी डी एल) से ₹99.60 करोड़ में की गई संविदा पर टारपीडो 'डब्ल्यू' अनुमानित गुणात्मक आवश्यकताओं (क्यू आर) को पूरा नहीं किया। आवश्यक एयरबोर्न प्रीसेटर्स संविदा के चार वर्ष बाद परपीक्षणाधीन रहे। इन टारपीडों के परिचालनात्मक उद्दोहन में भारतीय नौसेना (आई एन) की अयोग्यता को दर्शाते थे जिससे निवेश अलाभकर रहा। आगे,संविदा के सम्पन्न होने तथा टारपीडो 'डब्ल्यू' की सुपुर्दगी में विलम्ब से न्यूनतम पूल रिज़र्व को बनाए रखने में आई एन की अयोग्यता दिखाई देती थी।

(पैराग्राफ 2.4)

V टरबाइन ब्लेडों पर परिहार्य व्यय

संविदा में मरम्मत प्रक्रिया के वैधीकरण हेतु समय सीमा निर्धारित नहीं होने के कारण, सांख्यिकी नियंत्रण ग्राइंडिंग मशीन की अधिप्राप्ति पर ₹5 करोड़ के निवेश के बाद भी वायुयान की सेवा योग्यता बनाए रखने हेतु वायुसेना को ब्लेडों को विदेश में मरम्मत के लिए भेजने को बाध्य होना पड़ा। परिणामतः भारतीय वायुसेना ने मूल उपकरण निर्माता (ओ ई एम) द्वारा मरम्मत पर ₹5.14 करोड़ का परिहार्य व्यय किया।

(पैराग्राफ 3.1)

VI भिन्नता रिपोर्ट प्रस्तुत करने में विलम्ब के कारण हानि

निर्धारित समय में गलत आपूर्त पुर्जों हेतु भिन्नता रिपोर्ट प्रस्तुत करने में बेस मरम्मत डिपो के भाग पर असफलता के परिणामस्वरूप न केवल ₹1.45 करोड़ की हानि बल्कि नाज़ुक पुर्जों की अपर्याप्तता जिसके द्वारा हेलिकॉप्टरों के अनुरक्षण को भी प्रभावित किया।

(पैराग्राफ 3.2)

VII सहायक ऊर्जा इकाई के मरम्मत/ओवरहाल पर परिहार्य व्यय

सहायक ऊर्जा इकाई (ए पी यू) वायुयान इंजन के शुरु करने तथा इंजन से मुख्य ऊर्जा आपूर्ति की असफलता के समय वायुयान के उड़ान के दौरान आपातकालीन सेवाएं बनाए रखने के लिए प्रयुक्त होती है। भारतीय वायुसेना ने अनुमानों के निर्धारण के दौरान उचित कर्मठता के अभाव के कारण छः ए पी यू के मरम्मत एवं ओवररहाल पर ₹1.69 करोड़ का परिहार्य व्यय किया।

(पैराग्राफ 3.3)

VIII एक प्रणाली की अन्यायोचित अधिप्राप्ति

मानचित्र अंकीकरण तैयारी स्टेशन (डी एम पी एस) दस्ती मानचित्र को अंकीकृत मानचित्र में परिवर्तन हेतु आवश्यक है। ₹3.49 करोड़ की कीमत पर अधिप्राप्त तीन डी एम पी एस गत चार वर्षों से उपयोग में नहीं लाए जा रहे थे क्योंकि वायुयान परिचालन इकाई पर डी एम पी एस की आवश्यकता नहीं थी।

पैराग्राफ 3.4)

IX ब्रेक पैराशूट की अधिप्राप्ति पर अतिरिक्त व्यय

ब्रेक पैराशूट प्रत्येक लैंडिंग के दौरान वायुयान की गति को कम करने हेतु प्रयुक्त होती है। अत्यावश्यकता के अनुचित निर्धारण के कारण आई ए एफ ने 100 ब्रेक पैराशूटों के आयात पर ₹12.66 करोड़ का अतिरिक्त व्यय किया।

(पैराग्राफ 3.5)

X कलर डाई की अधिप्राप्ति पर अविवेकपूर्ण निर्णय के कारण परिहार्य हानि

कलर डाई हवाई प्रदर्शन में एयरोबैटिक डिस्प्ले करने के लिए आई ए एफ एयरोबैटिक दल द्वारा प्रयुक्त किया जाता है। भारतीय वायुसेना द्वारा कलर डाई की अधिप्राप्ति की अवास्तविक प्रक्षिप्ति साथ में सीमित शेल्फ जीवनकाल के बावजूद एक ही समय में तीन वर्ष की आवश्यकता की पूर्ति हेतु सम्पूर्ण मात्रा के आयात के निर्णय के परिणामस्वरूप ₹4.51 करोड़ की परिहार्य हानि हुई।

(पैराग्राफ 3.6)

XI भंडार निदेशालय, वायुसेना मुख्यालय

वायुसेना मुख्यालय में भंडार निदेशालय, वायुसेना के लिए योजना, बजट बनाने, प्रावधान करने एवं गैर तकनीकी भंडार की आपूर्ति करने के लिए जिम्मेदार है। भण्डार निदेशालय तथा सम्बन्धित इकाइयों की लेखापरीक्षा के दौरान घटिया/अप्रमाणित उड़न वस्त्र एवं राजस्व के लोक निधि खाते में जमा नहीं करने से सम्बन्धित लेखा परीक्षा ने मामलों को देखा। मंत्रालय के बिना अनुमति/स्केलिंग कुछ भण्डारों की अनियमित अधिप्राप्ति के अनेक मामले थे। ईंधन की अधिप्राप्ति में फॉल क्लाज के नहीं कार्यान्वयन के कारण आई ए एफ को ₹713.09 करोड़ और त्वरित भुगतान छूट का लाभ उठाने में असफलता के कारण ₹9.58 करोड़ की हानि हुई। लेखापरीक्षा के दृष्टान्त पर आई ए एफ को विमानन टरबाइन ईंधन (ए टी एफ) की अधिप्राप्ति पर छूट उठाने से ₹107 करोड़ की बचत हुई।

(पैराग्राफ 3.7)

XII भारतीय वायुसेना में एयरोस्पेस सुरक्षा पर लेखा परीक्षा

आई ए एफ के लड़ाकू योग्यता के अनुरक्षण के वायुयान दुर्घटना की रोकथाम एक बढ़ता हुआ महत्वपूर्ण तत्व है। 1998 की लेखा परीक्षा रिपोर्ट ने वायुयान दुर्घटना की उच्च दर, आधारभूत संरचना तथा प्रशिक्षण की कमी उड़ान अनुभव तथा प्रशिक्षण उपकरण की कमी तकनीकी खराबी के कारण निम्न अनुरक्षण प्रक्रिया एवं जांच को अन्तिम रूप देने में विलम्ब के मामले को उजागर किया। सितम्बर 2008 में की गई कार्रवाई टिप्पणी में लोक लेखा समिति (पी ए सी) को रक्षा मंत्रालय द्वारा दिए गए आश्वासन के बावजूद लेखापरीक्षा ने पाया (अगस्त 2013-दिसम्बर 2013) कि ये मामले लगातार विद्यमान रहे। आई ए एफ ने 2010-13 के दौरान 33 वायुयान एवं 27 कर्मिक खोया। लड़ाकू वायुयान में दुर्घटना की प्रतिशतता बढ़ी थी। मूल प्रशिक्षण वायुयान,मध्यम जेट प्रशिक्षक तथा उन्नत जेट प्रशिक्षक/सिम्युलेटर के पूर्ण दस्ते की अप्रर्याप्तता के कारण पॉयलटों के प्रशिक्षण के साथ समझौता करना पड़ा। कोर्ट ऑफ इन्क्वाइरी के अन्तिम रूप देने में विलम्ब के परिणामस्वरूप पेंशन से सम्बन्धित लाभ तथा दुघर्टनाओं के रोकथाम हेतु उपचारी उपायों के कार्यान्वयन में विलम्ब और वायुयान दुर्घटनाओं/घटनाओं की हानियों के नियमितिकरण में विलम्ब हुआ।

(पैराग्राफ 3.8)

XIII आई ए एफ में विशेष उपरकण तथा हथियार का भण्डारण

राकेट, बम्ब, मिसाईल आदि सहित संवेदनशील वायु शस्त्र भण्डार, उच्च गुणवत्ता, धूल से स्वतंत्र तथा तापमान नियंत्रित वातावरण में रखे जाने होते हैं। जीवनकाल समाप्त मिसाइलों को पर्यावरण के गंभीर खतरे से बचाने के लिए उचित पर्यावरण में उनके निपटाने तक रखने की जरूरत है। सात उपकरण डिपो, पाँच ए एफ विंग, तीन बेस मरम्मत डिपो तथा एक वायु भण्डार पार्क की लेखा परीक्षा के दौरान, लेखा परीक्षा ने पाया कि भण्डारण शेडों हेतु निर्माण कार्य की संस्वीकृति में विलम्ब तथा स्थान परिवर्तन के कारण कार्य आरम्भ में विलम्ब से समय और कीमत में वृद्धि

के मामले थे। लेखा परीक्षा ने यह भी पाया कि कुछ भण्डार खुले क्षेत्र में रखे थे, एयरो इंजन के भण्डारण हेतु सार्वजनिक क्षेत्र अण्डरटेकिंग (पी एस यू) पर निर्भरता बनी रही, अग्नि शमक उपकरण तथा चालक दल के भण्डार में कमी, भण्डारण शेडों के सीपेज/लीकेज में मरम्मत में विलम्ब के परिणामस्वरूप भण्डारों को दूसरे शेडों में स्थानारतरित करना पड़ा।

(पैराग्राफ 3.9)

XIV सिम्युलेटरों के अनुरक्षण पर परिहार्य व्यय

एच पी टी -32 बेड़े के सेवा से हटाने के बावजूद सिम्युलेटरों हेतु कार्मिक अनुरक्षण संविदा के साथ बने रहने के अविवेकपूर्ण निर्णय के कारण भारतीय वायुसेना ने ₹0.92 करोड़ का परिहार्य व्यय किया।

(पैराग्राफ 3.11)

XV शस्त्र उपकरण डिपो तथा शस्त्र उपकरण निदेशालय की कार्यपद्धति

माँग के वार्षिक रिव्यू (ए आर डी) के 93 एवं 83 प्रतिशत अग्रिम योजना तथा पुनः भरण के उपाय में क्रमशः मुम्बई एवं विशाखापत्तनम में शस्त्र उपकरण डिपो द्वारा विलम्ब किया गया। इनमें से, आधे से अधिक ए आर डी तीन माह से अधिक के विलम्क में साक्षी रहे। विलम्ब के बावजूद, ए आर डी ने कैलेण्डर वर्ष की अवहेलना तथा प्राप्त स्टाक का विचार करने जैसी त्रुटियां थी। रक्षा मंत्रालय (नौसेना) {आई एच क्यू एम ओ डी (नौसेना)} स्तर के एकीकृत मुख्यालय पर शस्त्र के पुर्जों के लिए संवीक्षा से उत्पन्न संविदा समय सीमा के अन्तर्गत संपन्न् नहीं हुए। आई एच क्यू एम ओ डी (नौसेना) ने भी 79 प्रतिशत मामलों में प्रक्षिप्ति प्रस्तुत करने में विलम्ब किया । प्रत्येक स्तर पर विलम्ब से, अक्तूबर 2013 तक केवल 26 प्रतिशत मदों के लिए ही संविदा सम्पन्न हुई जिसके लिए आवश्यकता वर्ष 2009 में प्रक्षिप्ति की गई। शस्त्रों के पुर्जों हेतु मांग की अनुपालन की गणना के लिए कार्यप्रणाली, जैसा वर्तमान में प्रैक्टिस थी, में मजूबती की आवश्यकता थी। वर्तमान में, शस्त्रों के उपरकण के भण्डार के लिए अग्रिम योजना एवं पुनःभरण प्रणाली का निष्पादन विश्वसनीय तरीके से सुनिश्चित किया जा सका।

(पैराग्राफ 4.1)

XVI पुनरादेश विकल्प को लागू करने में विफल रहने के कारण परिहार्य व्यय

आई एन एस चीता के मुख्य इंजन के एक सेट की खरीद के लिए दिए गए वर्तमान संविदा में उपलब्ध पुनरादेश विकल्प को लागू करने में विफल रहने के कारण ₹0.70 करोड़ का परिहार्य व्यय करना पड़ा। साथ ही, दिसम्बर 2006 में निविदित हुई आवश्यकता, जो कि मार्च 2008 में चाहिए थी, मार्च 2010 में देर से फलित हुई।

परिणामस्वरूप, 2008 में पोत की रिफिट के दौरान उस पोत पर मुख्य इंजन के नए सेट को लगाया नहीं जा सका और बाद में 2013 में, मध्य रिफिट-13 की रिफिट के दौरान लगाया गया।

(पैराग्राफ 4.2)

XVII एक वायुयान की मरम्मत पर हुआ अलाभकारी व्यय

एक सी हेरियर प्रशिक्षक वायुयान की मरम्मत के लिए विभिन्न खंडों के कार्य करने का दृष्टिकोण अपनाने के कारण, ₹6.26 करोड़ का अलाभकारी व्यय हुआ, क्योंकि अतिरिक्त पुर्जों के अनुपलब्ध होने के कारण वायुयान अनुपयोगी रहा।

(पैराग्राफ 4.3)

XVIII अतिमहत्वपूर्ण अतिरिक्त पुर्जों की अधिप्राप्ति में असाधारण विलम्ब

प्रकार 'ए' कॉम्प्लेक्स के लिए अति महत्वपूर्ण पुर्जों की अधिप्राप्ति प्रक्रिया में यथोचित परिश्रम के अभाव के कारण इनकी अधिप्राप्ति में विलम्ब हुआ जिसके फलस्वरूप भारतीय नौसेना की 'एक्स' क्लास पनडुब्बी के अनुरक्षण/समुपयोग पर अनुवर्ती दुष्परिणाम पड़ा। अंततः मार्च 2007 में परियोजित पुर्जों को अगस्त 2010 में ही ₹2.94 करोड़ की अतिरिक्त कीमत पर अनुबंधित किया जा सका। यद्यपि आपूर्ति अभी तक (अप्रैल 2014) होनी अपेक्षित थी।

(पैराग्राफ 4.4)

XIX अत्यधिक मूल्य पर एक मद/वस्तु की अधिप्राप्ति

नौसेना ने सामान्य मेमोरी कार्ड परिणामी एकल निविदा के आधार पर अत्यधिक ऊंची दर से इस याचिका पर खरीदा कि मेमोरी कार्ड एक विशेष प्रकार के सॉफ्टवेयर से लोड/युक्त था। इसके परिणामस्वरूप ₹1.10 करोड़ का अतिरिक्त व्यय हुआ।

(पैराग्राफ 4.5)

XX इलैक्ट्रोड की आवश्यकता से अधिक अधिप्राप्ति

सामग्री संगठन, विशाखापत्तनम् ने आपूर्तिकर्त्ता से दर संविदा करते समय मात्रा की आक्रमबद्ध आपूर्ति पर ध्यान नहीं दिया। जिसकी वजह से आवश्यकता से अधिक अधिप्राप्ति और परिणामस्वरूप ₹1.68 करोड़ की वस्तु की कालावधि समाप्त हो गई/

(पैराग्राफ 4.6)

XXI निर्माण कार्यों एवं विशिष्ट उपकरणों की प्रबन्ध व्यवस्था में संकलन न होने के कारण निवेश का बेकार होना

मार्च 2010 में ₹20.21 करोड़ की लागत से स्वीकृत मरीन कमांडों (मार्कोज) ईस्ट के लिए उन्नत प्रशिक्षण सुविधाओं की तत्काल आवश्यकता, अभी भी पूरी होनी बाकी थी (जुलाई 2014) । निर्माण कार्यों एवं विशिष्ट मदों की प्रबंध व्यवस्था में संकालन न होने के कारण ₹6.98 करोड़ का निवेश भी बेकार हो रहा है।

(पैराग्राफ 4.9)

XXII एक समर्पित ईंधन पाइपलाईन की अनुपलबधता एवं निधियों का अवलोकन

पाइपलाईन के संरेखण पर तटरक्षक एवं नौसेना के मध्य समन्वय के अभाव के कारण अप्रैल 2004 से ₹2.20 करोड़ का निवेश बेकार हो गया। इसके अतिरिक्त, जेटी तक पाइपलाईन भी उपलब्ध नहीं हो सकी।

(पैराग्राफ 4.10)

XXIII भारतीय तटरक्षक द्वारा विलम्ब शुल्क का परिहार्य भुगतान

भारतीय तटरक्षक ने फ्लैटों की अधिप्राप्ति के क्रम में, मंत्रालय द्वारा स्वीकृत शर्तों का महाराष्ट्र गृह निर्माण व क्षेत्रविकास प्राधिकरण (म्हाडा) द्वारा प्रस्तावित भुगतान शर्तों के साथ मिलान नहीं किया, जिससे ₹3.74 करोड़ के विलम्ब शुल्क का भुगतान करना पड़ा जिसमें भुगतान करने में देरी के कारण ₹0.98 करोड़ का परिहार्य भुगतान भी शामिल है। ₹0.45 करोड़ का परिहार्य भुगतान भी सेवा शुल्क के ब्याज के तौर पर प्राधिकरण को किया गया। ₹4.19 करोड़ की इन कुल राशियों का भुगतान महाडा को करने के लिए सक्षम वित्तीय प्राधिकारी (सी एफ डी) की स्वीकृति नहीं ली गई।

(पैराग्राफ 5.1)

XXIV निधियों का अवरोधन और लेखा परीक्षा के दृष्टान्त पर वसूली

प्रस्तावित नीति से विचलन करते हुए, पोतों की सुपुर्दगी के पश्चात ₹1.19 करोड़ की अव्यय निधि का प्रयोग करने के लिए मुख्यालय भारतीय तटरक्षक (आई सी जी एच क्यू) ने अतिरिक्त ऑन बोर्ड पुर्जों (ओ बी एस) की

अधिप्राप्ति के लिए मेसर्स गोवा शिपयार्ड लिमिटेड (जी एस एल) से माँग की। मेसर्स जी एस एल ऑन बोर्ड पुर्जों की आपूर्ति नहीं कर सका और मुख्यालय भारतीय तटरक्षक ने अव्यय निधि की वसूली के बजाय, शेष निधि को पोत निर्माण के पास तकरीबन पाँच वर्षों तक रहने दिया, जिनकी वजह से ₹1.19 करोड़ की निधि का अवरोधन हुआ। लेखा परीक्षा के दृष्टान्त पर, शेष निधि पर ₹56.53 लाख का ब्याज वसूला गया।

(पैराग्राफ 5.2)

XXV तटरक्षक अधिकारियों के अग्रिमों की वसूली में चूक

तटरक्षक अधिकारियों को स्वीकृत किए गए कुल ₹1 करोड़ से अधिक की राशि की नियमित वसूली में चूक पाई गई है। यह चूक कार्यालय रक्षा लेखा प्रधान नियंत्रक (नौसेना), मुम्बई की प्रणाली में कमी से सम्बन्धित है।

(पैराग्राफ 5.3)